न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा/78/2014 तारीख रजु 09.07.2014

उनवान

1. प्यार सिंह पुत्र श्री नारायण निवासी रीझवास तह0 हिण्डौन जिला करौली

-----वादी

बनाम

1. खिलाडी पुत्र नारायण वगै0 निवासी रीझवास तह0 हिण्डौन जिला करौली

-----प्रतिवादीगण 35

उपस्थितिः–
वादीगण की ओर से :– कोई उपस्थित नही।
प्रतिवादीगण की ओर से :– कोई उपस्थित नही।

निर्णय दिनांक 23.12.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि सायल की ओर वकालतन एक दाबा ग्राम रीझवास तहसील हिण्डोन के खसरा नंबर 74/1341, 75, 79, 62, 420, 426, 1117, 4151/2, 38, 57, 96, 120, 203, 2052, 452, 453, 509, 568, 811, 813, 814, 878, 911, 912, 812, 1195, 1201, 1202, 1203, 1204, 1280/4, 425, 564, 1084, में घोषणा खातेदारी, तकास्मा एवं स्थाई निषेद्याज्ञा का दाबा पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान वादी वकील को कई बार तलवी पेश करने के अवसर दिये गये। बार–बार आवाज दिलाई गई । वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए । जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दाबा में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः वादीगण का दावा मुकदमा नंबर 78/2014 श्री प्यार सिंह बनाम खिलाडी वगै0 अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी जिला करौली

SUB DIVISIONAL MAGISTRATE
अदालत सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट
हिण्डौन
HINDAUN

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2019.12.31 18:26:50 IST
Reason: SelfAttested